



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933

No. 1087]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जून, 2011
सं. 32/2011

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd June, 2011
No. 32/2011

का.आ. 1296(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उप-खण्ड (15) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा संख्या सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 9 जून, 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"9. डाकघर बचत बैंक खाता व्यक्तिगत खाते के मामले में 3500 रु. तथा संयुक्त खाते के मामले में 7000 रु. के ब्याज तक"		

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 173/13/2011-आईटीए-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि. 1)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 607(अ) दिनांक 9 जून, 1989 के तहत प्रकाशित हुई थी।

2073 GI/2011

S.O. 1296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 607(E), dated the 9th June, 1989, namely :—

In the said notification, in the Table, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"9. Post Office Savings Bank Account		To an extent of the interest of Rs. 3500 in the case of an individual account and Rs. 7000 in the case of joint account"

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.173/13/2011-ITA. I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA. I)

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 607(E), dated the 9th June, 1989.